

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7(523)परि/नियम/मु./2018/ 13399

जयपुर, दिनांक: 22/06/2018

आदेश

ई-रिक्शा/ई-कार्ट के चालकों के प्रशिक्षण हेतु स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र का प्राधिकार-पत्र

(देखे:- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 8 ए)

मैसर्स सर्व ई-रिक्शा मजदूर यूनियन, जयपुर प्लॉट न. बी-58, जगदीश कॉलोनी, माउण्ट रोड़, रामगढ़ मोड़, जयपुर को मैसर्स के.टी. एन्टरप्राइजेज, तकवी एन्टरप्राइजेज, सक्सेसपथ मार्केटिंग प्रा. लि. तथा जीजो इलेक्ट्रीक व्हील्स प्रा. लि. द्वारा निर्मित एवं विक्रित ई-रिक्शा/ई-कार्ट के चालकों को केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989, के नियम 8ए में अपेक्षित 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है। मैसर्स सर्व ई-रिक्शा मजदूर यूनियन, जयपुर को जारी प्राधिकार-पत्र मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नवीनतम प्रावधानों एवं विभागीय कार्यालय आदेश 16/2018 दिनांक 09.05.2018 एवं ई-रिक्शा/ई-कार्ट के चालकों को चालन प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किये जाने की शर्त के अधधीन होगा।

*(Signature)*  
(आर. सी. यादव)  
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)